Annexure-7.56
Item No. 7-56/-
E.C. dated 10.10.2020

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220779
CG-DL-E-30072020-220779

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/ श्रावण 8, 1942**
No. 298] **NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SHRAVANA 8, 1942**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(दिल्ली विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2020

फा.सं.4-16/2019 सीयू-II : दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922(1922 का VIII)की धारा 29 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्यकारी परिषद कुलाध्यक्ष(विजिटर) के अनुमोदन के साथ, इसके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियां, 1922 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत: —

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

(i) इन संविधियों को दिल्ली विश्वविद्यालय(संशोधन) संविधियां, 2020 कहा जा सकता है।

(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन तिथि से लागू हो जाएंगे।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922 के संविधियों में, संविधि 19 में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

मौजूदा	संशोधित
19. (1) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, कुलसचिव, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोफेशनल वरिष्ठ(उप पुस्तकालयाध्यक्ष), प्रोफेशनल कनिष्ठ(सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष), शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समितियों का निम्नलिखित गठन होगा :	**19.** (1) वरिष्ठ प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, कुलसचिव, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, उप पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के निदेशक, उप निदेशक और सहायक निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समितियों का निम्नलिखित गठन होगा: **(i) वरिष्ठ प्रोफेसर** 1.कुलपति, जो समिति के अध्यक्ष(चेयरपर्सन) होंगे। 2. न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद से कम नहीं, *एक शिक्षाविद,* जो कुलाध्यक्ष(विजिटर)का नामांकित व्यक्ति है। 3. अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित संबंधितविषय/क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ एक वरिष्ठ प्रोफेसर/ प्रोफेसर के पद से कम नहीं, *तीन विशेषज्ञ*। 4. संकाय के अधिष्ठाता(न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद से कम नहीं), जहां भी लागू हो। 5. प्रमुख(न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद से कमनहीं) अथवा विभाग / स्कूल / केंद्र के वरिष्ठतम प्रोफेसर (न्यूनतम दस वर्ष के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर/प्रोफेसर के पद से कम नहीं)। 6. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/अल्पसंख्यक/महिला/नि:शक्त जनश्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वालाएक शिक्षाविद (न्यूनतम दस वर्षों के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर/ प्रोफेसर के पद से कम नहीं), यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई

	भी उम्मीदवार आवेदक है, जिसे कुलपति द्वारातो नामांकित किया जाना है, यदि चयन समिति के उपर्युक्तसदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधित नहीं हो।
	वरिष्ठ प्रोफेसर के लिए चयन समिति के प्रावधान क्लॉज़ (i) और मौजूदा खंड(क्लॉज़) (i) में जोड़े गए हैं, उनको (ii), (ii) के रूप में (iii) और (iii) को (iv) के रूप में बदला जाएगा।
(i) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर:	**(ii) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर:**
1. कुलपति अथवा जहां वह नामित करते हैं, सम-कुलपति अथवा अधिष्ठाता(महाविद्यालय) अथवा निदेशक, दक्षिण दिल्ली परिसरचयन समिति के अध्यक्ष होंगे।	1. कुलपति अथवा उनके / उनके नामांकित व्यक्ति, जिनके पास प्रोफेसर के रूप में कम से कम दस वर्ष का अनुभव है, समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रोफेसर के पद के लिए कुलपति समिति के अध्यक्ष होंगे।
2. सम-कुलपति / निदेशक, दक्षिण परिसर।	2. प्रोफेसर के पद से कम नहीं है, एक शिक्षाविद, जिसे कुलाध्यक्ष(विजिटर)द्वारा नामित किया जाए।
3. अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के *तीन विशेषज्ञ*।	3. अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामित संबंधित विषय के *तीन विशेषज्ञ*।
4. कुलाध्यक्ष(विजिटर)द्वारा नामित *एक शिक्षाविद*।	4. संबंधित संकाय के अधिष्ठाता, जहां भी लागू हो।
5. विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग के प्रमुख, यदि वह एक प्रोफेसर हैं। यदि प्रमुख रीडर है, तो उस विभाग में एक प्रोफेसर, यदि कोई हो।	5. विभाग/स्कूल/ केंद्र/संस्थान/मेडिकल कॉलेज के प्रमुख, जैसा भी मामला हो।
6. विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज अथवा विधि केंद्र(लॉ सेंटर) में नियुक्ति के मामले में, उस कॉलेज के प्राचार्य अथवाउस केंद्र के प्रोफेसर-प्रभारी, जैसा भी मामला हो।	6. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/अल्पसंख्यक/ महिला/नि:शक्तजन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद को कुलपति द्वारा नामांकित किया जाना है, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई इस श्रेणी से संबंधित नहीं हो।
7. संबंधित विषय में विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान	

संस्थान के प्रमुख।

8. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी/अल्पसंख्यक/ महिला/नि:शक्तजन(पी.डब्ल्यु.डी) श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक शिक्षाविद को कुलपति द्वारा नामांकित किया जाना है, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई भी उम्मीदवार आवेदक है और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई इसश्रेणी से संबंधित नहीं हो।

9. जहां किसी भी स्तर के पदों अथवासेवाओं में 10 अथवा अधिक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए चयन समिति का गठन किया जाता है, वहां ऐसी समितियाँ / बोर्ड मेंएस.सी./एस.टी.से संबंधित एक सदस्य, ओ.बी.सी.श्रेणी से संबंधित एक सदस्य और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, चयन समिति /बोर्ड के सदस्यों में से एक, चाहे वह सामान्य वर्ग से हो अथवाअल्पसंख्यक समुदाय से हो अथवा एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी समुदाय से एक महिला होनी चाहिए, जिसमें विफल होते हैं,किसी एक महिला सदस्य को समिति/बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि जहां चयन किया जाना है, उसके प्रति रिक्तियों की संख्या दस से कम है, एस.सी./एस.टी, ओ.बी.सी अधिकारी और अल्पसंख्यक समिति के अधिकारी और एक महिला अधिकारी को ऐसी समितियों/बोर्डों में शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।

(ii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोफेशनलवरिष्ठ (उप पुस्तकालयाध्यक्ष) और प्रोफेशनल कनिष्ठ (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष):

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय

7. जहां किसी भी स्तर के पदों अथवासेवाओं में 10 अथवा अधिक रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए चयन समिति का गठन किया जाता है, वहां ऐसी समितियाँ / बोर्ड में एस.सी./एस.टी.से संबंधित एक सदस्य, ओ.बी.सी.श्रेणी से संबंधित एक सदस्य और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित एक सदस्य होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, चयन समिति/बोर्ड के सदस्यों में से एक, चाहे वह सामान्य वर्ग से हो अथवाअल्पसंख्यक समुदाय से हो अथवा एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी समुदाय सेएक महिला होनी चाहिए, जिसमें विफल होते हैं, किसी एक महिला सदस्य को समिति/बोर्ड में शामिल किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि जहां चयन किया जाना है, उसके प्रति रिक्तियों कीसंख्या दस से कम है, एस.सी./एस.टी, ओ.बी.सी अधिकारी और अल्पसंख्यक समिति के अधिकारी और एक महिला अधिकारी को ऐसी समितियों/बोर्डों में शामिल करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना चाहिए।

व्याख्यात्मक नोट: उपर्युक्तदिए गए खंड 7 को डी.ओ.पी. एंड टी ओएम सं. F.No.42011/2/2014-Estt(Res)दिनांकित 13.02.2014के संदर्भ में सम्मिलित किया गया है। इस खंड(क्लॉज) को विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष (विजिटर) ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2015 के पत्र सं. F.No.4-93/2014-डेस्क द्वारा मंजूरी(एसेंट) दी थी।

(iii) शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, उपपुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष:

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद के निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोफेशनल वरिष्ठ (उप पुस्तकालयाध्यक्ष) और प्रोफेशनल कनिष्ठ (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) के पद के लिए

पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रोफेशनल वरिष्ठ (उप पुस्तकालयाध्यक्ष) और प्रोफेशनलकनिष्ठ (सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष) के पद के लिए चयन समितियां क्रमशः प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की चयन समितियों के समान होंगी, सिवाय इसकेशारीरिक शिक्षा और खेल अथवाखेल प्रशासन अथवापुस्तकालय में संबंधित विशेषज्ञ, प्रैक्टिसिंग पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक शिक्षा निदेशक, जैसा भी मामला हो, चयन समिति से जुड़े होंगे, कुलपति द्वाराचयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में नामित किया जाएगा।	चयन समितियां क्रमशः प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर की चयन समितियों के समान होंगी, सिवाय इसके क्रमश: पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा एवं खेल अथवाखेल प्रशासन, प्रैक्टिसिंग पुस्तकालयाध्यक्ष/ शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक,जैसा भी मामला हो, विषय विशेषज्ञों में से एक चयन समिति से जुड़ा होगा। **ध्यान दें(नोट) :** (ए) समग्र चयन प्रक्रिया यू.जी.सी विनियम, 2018 द्वारा संपन्न होगी। (बी) चयन समिति की बैठक के दिन/अंतिम दिन चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें कार्यवृत्त को दर्ज किया जाता है और साक्षात्कार के प्रदर्शन(परफारमेंस) के आधार पर सिफारिश की जाती है, जो चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित होते हैं। (सी) इसमें निर्दिष्ट सभी चयन समितियों के लिए विभागाध्यक्ष/शिक्षक—प्रभारी को या तो उस पद अथवा पद की तुलना में समान अथवा उच्च रैंक/पद(पोजीशन) पर होना चाहिए जिसके लिए साक्षात्कार आयोजित किया जाना है। (डी) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक/महिला/नि: शक्तजन श्रेणी से संबंधित शिक्षाविद्(शिक्षाविदों) और इसलिए चयन समिति(समितियों) में नामांकित आवेदक के संवर्ग(काडर) स्तर से एक स्तर ऊपर होगा, और इस तरह से नामिती यह सुनिश्चित करेंगा कि उपर्युक्त श्रेणियों के संबंध में केंद्र सरकार के मानदंडों का चयन प्रक्रिया के दौरान कड़ाई से पालन किया जाता है।
(iii) कुलसचिव : 1. कुलपति 2. सम-कुलपति 3. कुलाध्यक्ष(विजिटर) का नामिती 4. कोषाध्यक्ष	**(iv) कुलसचिव :** 1. कुलपति 2. समकुलपति- 3. कुलाध्यक्ष(विजिटर) का नामिती 4. कोषाध्यक्ष 5. कार्यकारी परिषद के दो सदस्य, इसके द्वारा

5. कार्यकारी परिषद के दो सदस्य, इसके द्वारा नामित। 6. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक /महिला/ दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी एक आवेदक है और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंध न रखता हो।	नामित। 6. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अल्पसंख्यक/महिला/ दिव्यांगजन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद् को कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा, यदि इन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवारों में से कोई भी एक आवेदक है और यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी इन श्रेणियों से संबंध न रखता हो।
(2) से (4) XXX XXX XXX XXX XXX XXX	(2) से (4) XXX XXX XXX XXX XXX XXX
(5) खंड(1) से (4) तक में कुछ निहित नहीं होने के बावजूद शिक्षकों की नियुक्ति अथवा उनकी मान्यता के लिए; के संबंध में निदेशक(दक्षिणी परिसर) भी चयन समिति के सदस्य होंगे, जैसा भी मामला हो, दक्षिणी परिसर में ऐसे विभागों तथा महाविद्यालयों के संबंध में कुलपति निर्दिष्ट कर सकते हैं।	(5) विलोपित(ओमिटेड) ***
(6) चयन समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति(कोरम) तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि अध्यक्ष के अतिरिक्त, ऐसे मामले में जहां चयन समिति में कुलाध्यक्ष(विजिटर) के नामित व्यक्ति एवं विद्या(एकेडेमिक) परिषद/कार्यकारी परिषद द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या चार है, वहां कम से कम उनमें से तीन और जहां संख्या तीन है वहां कम से उनमें से दो सदस्य बैठक में उपस्थित होते हैं। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक स्थगित कर दी जाएगी।	(6) दो बाहरी विषय विशेषज्ञों सहित चार सदस्य, कोरम का गठन करेंगे।

चंद्र प्रताप राघव, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./155/2020-21]

ध्यान दें(नोट) : दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम,1922 के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियां, 1922 को उस अधिनियम की अनुसूची के रूप में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या: 4-11/2017-सी.यू.-।।, दिनांकित 27/02/2020 द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Department of Higher Education
(UNIVERSITY OF DELHI)

NOTIFICATION
New Delhi, the 29th July, 2020

F. No.4-16/2019 CU-II: In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 29 of the Delhi University Act 1922 (VIII of 1922), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Delhi University Statutes, 1922, namely:—

1. **Short Tittle and commencement:**

(i) These Statutes may be called as the Delhi University (Amendment) Statutes, 2020
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **In the Delhi University Statute, 1922, in Statute 19, following shall be substituted:**

Existing	Amended
19. (1) The Selection Committees for appointment to the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, University Librarian, Professional Senior (Deputy Librarian), Professional Junior (Assistant Librarian), Director, Deputy Director and Assistant Director of Physical Education & Sports shall have the following compositions:	**19.** (1) The Selection Committees for appointment to the posts of Senior Professor, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, University Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, Director, Deputy Director and Assistant Director of Physical Education & Sports shall have the following compositions: **(i) Senior Professor** 1. Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson of the Committee. 2. An Academician not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years' experience who is the nominee of the Visitor. 3. Three experts not below the rank of a Senior Professor/Professor with a minimum of ten years' experience in the subject/field concerned nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council. 4. Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years' experience) of the faculty, wherever applicable. 5. Head (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years' experience) or senior-most

	Professor (not below the rank of Senior Professor /Professor, with a minimum of ten years' experience) of the Department/School/Centre. 6. An Academician (not below the rank of a Senior Professor/Professor with minimum ten years' experience) representing SC/ST/OBC/ Minority / Women / Differently-abled categories, if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the Selection Committee do not belong to that category. ***Provisions for selection committee for Senior Professor has been added at Clause (i) and existing clause (i) will be renumbered as (ii), (ii) as (iii) and (iii) as (iv).***
(i) Professor, Associate Professor & Assistant Professor:	**(ii) Professor, Associate Professor & Assistant Professor:**
1. The Vice-Chancellor or where he so nominates, the Pro-Vice-Chancellor or the Dean of Colleges or the Director, South Delhi Campus shall be the Chairperson of the Selection Committee.	1. Vice Chancellor or her/his nominee, who has at least ten years of experience as Professor, shall be the Chairperson of the Committee. Vice Chancellor shall be the Chairperson of the Committee for the post of Professor.
2. Pro-Vice-Chancellor/Director, South Campus.	2. An academician not below the rank of Professor to be nominated by the Visitor.
3. Three experts in the concerned subject nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council.	3. Three experts in the concerned subject nominated by the Vice Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council.
4. An academician nominated by the Visitor.	4. Dean of the faculty concerned, wherever applicable.
5. Head of the concerned Department of the University, if he is a Professor. If the Head is a Reader, then a Professor, if any, in that Department.	5. Head of the Department/ School/Centre /Institute /Medical College concerned, as the case may be.
6. In case of an appointment in the University Medical College or in a Law Centre, the Principal of that College or the Professor-in-Charge of that Centre, as the case may be.	6. An Academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Differently-abled to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates representing these categories is an applicant and if any of the above
7. The Head of the Research Institute maintained or recognized by the	

University in the subject concerned. 8. An academician representing SC/ST/OBC/Minority/Women/Persons with Disability to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates representing these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category. 9. Where the Selection Committee is constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in any level of posts or services, it shall be mandatory to have one member belonging to SC/ST, one member belonging to OBC category and one member belonging to minority community in such Committees/Boards. Further, one of the members of the Selection Committee/Board, whether from the general category or from the minority community or from the SC/ST/OBC community should be a lady failing which a lady member should be co-opted on the Committee/Board. It may also be ensured that where the number of vacancies against which selection is to be made is less than ten, no effort should be spared in finding the SC/ST, OBC officer and the Minority Committee Officer and a lady officer, for inclusion in such Committees/Boards.	members of the Selection Committee does not belong to that category. 7. Where the Selection Committee is constituted for making recruitment to 10 or more vacancies in any level of posts or services, it shall be mandatory to have one member belonging to SC/ST, one member belonging to OBC category and one member belonging to Minority Community in such Committees. Further, one of the members of the Selection Committee/Board, whether from the General Category or from the Minority Community or from the SC/ST/OBC Community should be a lady failing which a lady member should be co-opted on the Committee. It may also be ensured that where the number of vacancies against which selection is to be made is less than ten, no effort should be spared in finding the SC/ST/OBC Officer and the Minority Community Officer and a lady officer, for inclusion in such Committees. **Explanatory Note:** Clause 7 above has been incorporated in terms of DoP&T OM No. F.No.42011/2/2014-Estt.(Res) Dated 13.02.2014 This clause was given assent by the Visitor of the University vide Letter No. F.No. 4-93/2014-Desk-U dated 18th March 2015.
(ii) Director, Deputy Director, Assistant Director of Physical Education & Sports, University Librarian, Professional Senior (Deputy Librarian) And Professional Junior (Assistant Librarian): Selection Committees for the post of Director, Deputy Director, Assistant Directors of Physical Education and Sports, University Librarian, Professional Senior (Deputy Librarian) and Professional Junior (Assistant Librarian) shall be the same as that of Professor, Reader and Lecturer respectively, except that the concerned expert in Physical Education and Sports or Sports Administration or Library, practicing Librarian/Physical Education Director, as the case may be, shall be associated with the Selection Committee as one of the subject experts to be nominated by the Vice-Chancellor.	**(iii) Director, Deputy Director, Assistant Director of Physical Education & Sports, University Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian:** Selection Committees for the posts of Directors, Deputy Directors, Assistant Directors of Physical Education And Sports, Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librariansshall be the same as that of Professor, Associate Professor and Assistant Professor, respectively, except that in Library and Physical Education and Sports or Sports Administration, respectively, practicing Librarian/Director Physical Education and Sports, as the Case may be, shall be associated with the Selection Committee as one of the subject experts. **Note:** (a) The overall selection procedure shall

(iii) Registrar: 1. Vice-Chancellor 2. Pro-Vice-Chancellor 3. A Nominee of the Visitor 4. Treasurer 5. Two members of the Executive Council, nominated by it. 6. An academician representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Persons with Disability to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates representing these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.	be as per UGC Regulations 2018. (b) The Selection process shall be completed on the day/last day of the Selection Committee meeting, wherein the minutes are recorded and recommendation made, on the basis of the performance of the interview, are duly signed by all members of the selection committee. (c) For all Selection Committees specified herein, the Head of Department/ Teacher-In charge should be either in the same or higher rank/position than the rank/position for which the interview is to be held. (d) The Academician(s) belonging to the Scheduled Caste/Scheduled Tribe/OBC /Minority /Women/ Differently abled Category and so nominated in the Selection Committee(s) shall be one level above the cadre level of the applicant, and such nominee shall ensure that the norms of the Central Government, in relation to the categories mentioned above, are strictly followed during the selection process. **(iv) Registrar:** 1. Vice-Chancellor 2. Pro-Vice-Chancellor 3. A Nominee of the Visitor 4. Treasurer 5. Two members of the Executive Council, nominated by it. 6. An academician representing SC/ ST/ OBC/ Minority/ Women/ Persons with Disability to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the candidates representing these categories is an applicant and if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
(2) to (4) XXX XXX XXX XXX XXX XXX (5) Notwithstanding anything contained in Clause (1) to (4), the Director, South Campus, shall also be a member of a Selection Committee in respect of appointment of teachers or, for their recognition; as the case may be, in respect of	(2) to (4) XXX XXX XXX XXX XXX XXX (5) *Omitted****

such Departments and Colleges in the South Campus as the Vice-Chancellor may specify.	
(6) the quorum for a meeting of the selection committee shall not be complete unless, in addition to the Chairman, in a Case where the number of Visitor's Nominee and the persons nominated by the Academic Council/Executive Council on the selection committee is four, at least three of them and where such number is three, at least two of them are present in the meeting. If the quorum is not complete, the meeting shall be adjourned.	(6) Four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum.

CHANDER PRATAP RAGHAVE, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty.155/2020-21]

Note: — The Delhi University Statutes, 1922 were published along with the Delhi University Act, 1922 as a Schedule annexed to that Act and were last amended vide Notificationno. 4-11/2017-CU-II dated 27.02.2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.30 21:48:31 +05'30'